


प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री बालू लाल बिहारी यह प्रार्थना

पत्र/वाद/अपील धारा 88, 53, 188 RT Act राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो।

विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेरपोडेंट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब






दिनांक 28/11/2022 को पेश है। 

28/11/22

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी दीगज कार्यों में व्यस्त है, मिसल इस्तबा होकर पत्रावली पुर्य आदेशिका अनुसार आईन्दा दिनांक 3.12.22 को पेश हो।

15/12/22

पत्रावली पेश हुई। वादीगण वकील श्री बालू लाल बिहारी वादीगण स्वयं उपर
वादीगण वकील ने आर्चना पत्र बाबत उच्च अन्वयान सुझन
में पत्रावली पेशी पर लेने बाबत पेश कट निवेदन किया
पत्रावली आज पेशी लारीव पर ली जावे। वादीगण वकील
के आर्चना पत्र पर पत्रावली आज पेशी लारीव पर ली गई।
वादीगण वकील ने आर्चना पत्र बाबत जरिये पिछले
वाद रकारिज करन का पेश कट निवेदन किया कि वादीगण
स्वयं प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हो गया है। इसलिये
वादीगण वाद के आगे चलाना नहीं चाहते उतः उच्च
अन्वयान के सुझन को जरिये राजीनामा किसे फरमाया जावे
अतः वादीगण वकील द्वारा उच्च आर्चना पत्र को ल्यायविल में

 दुर्गाराम


 केसराम
 निरमल
